न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर0ए0एस0,

नम्बर मुकदमा रा.अपील 11/2017

अनवान :–

मूलाराम पुत्र बिरमाराम जाति मेघवाल निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलाण्ट

–: बनाम :–

स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार, नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट

::अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की तरफ से श्री दिनेश गहलोत एडवोकट
2. स्टेट की और से विभागीय प्रतिनिधि

–: निर्णय :– दिनांक 28.02.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 22.12.2016 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार नोखा द्वारा विधि विरूद्ध अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित करके बेदखल करने का आदेश दिया गया है। जैर अपील आदेश कानून, न्याय, सिद्धान्त एवं प्रस्तुत रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः आदेश निरस्त किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि ग्राम पांचू दक्षिण स्थित वार्ड नं. 23 आवासीय भूमि पर गत 50–60 वर्षो से काबिज चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा 1997 में पट्टा जारी कर रखा है। मौके पर पक्का मकान है। बिजली का कनेक्शन है। मकान में परिवार सहित निवास करता आ रहा है। जिसका ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को होते हुवे भी क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, जिसका ज्ञान अधीनस्थ न्यायालय को होते हुवे भी क्षेत्राधिकार से बाहर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। दिनांक 16.3.2017 को पटवारी हल्का ने कब्जा खाली करने का कहा तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने व नकल प्राप्त करने पर जैर अपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 16.3.2017 को हुई। वादगत भूमि आबादी एवं पट्टे शुदा भूमि होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जिसका मियाद का कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का पांचू दक्षिण द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 3697 तादादी 0.013 हैक्टयर गैर मुमकीन गौचर पर दुकान व बाड़ा करके अतिक्रमण किया है। प्रस्तुत रिपोर्ट पर जांच करवाई जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई । अपीलार्थी को तलब किया गया बावजूद तामील के अपीलार्थी उपस्थित नहीं आये। बार–बार नोटिस दिये जाने के बाद भी अपीलार्थी द्वारा भूमि का पट्टा अथवा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल करते हुवे तावान का 50 गुणा बतौर शास्ति कायम की जाकर वसूल करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट राजकीय भूमि का अतिक्रमी है एवं सरकारी भूमि को हड़पने के उद्धेश्य से अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी गैर मुमकीन गौचर पर अतिक्रमी का दोषी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में गैर सायल पर नोटिस तामील हुए परन्तु गैर सायल अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये है। ऐसी स्थिति में दिनांक 22.12.2016 को बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के आधार पर कब्जे का कथन किया गया है। प्रथमतः तो ग्राम पंचायत गैर मुमकीन गोचर भूमि पर पट्टा जारी ही नहीं कर सकती है तथा द्वितीय

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत पट्टा अतिक्रमित भूमि से संबंधित है यह भी प्रमाणित नहीं होता है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि गैर मुमकीन गौचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपान्त अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन गौचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे प्रकरणों में गैर मुमकीन गौचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को गैर कानूनी करार दिया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट गैर मुमकीन गौचर, झाड़ झखांल वाले वन (चारागाह हेतु) भूमि पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित पत्रावली में नत्थी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर (प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner